उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

No. 4236 /ED(HR)/UPCL/Section-I/Apprenticeship **Date: 03/09/2026**

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा, निम्नलिखित अप्रैन्टिस शिक्षुओं (डिग्रीधारी / डिप्लोमा) को दिनांक 03.09.2026 से दिनांक 02.09.2027 तक एक वर्ष के लिए उपाकालि में शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु निम्न् सारणीनुसार तैनात किया जाता है:–

S. No.	Applicant Name	Student ID	Qualification Type	Trade	Place of Posting
1	Aakash	AUPSA7282976	DIPLOMA	Electrical	EDD (RURAL), HARIDWAR
2	Aashish Chauhan	AUKDD7118256	DIPLOMA	Electrical	EDD VIKASNAGAR
3	Abhinav Rajkishor	AUKRP7229048	DIPLOMA	Electrical	EDD RUDRAPRAYAG
4	Abhishek Singh Bhandari	AUKDD7257862	GRADUATE	B.COM	O/o-ED(HR), URJA BHAWAN, DEHRADUN
5	Ajaz	AUKHA7284453	DIPLOMA	Electrical	EDD(URBAN), ROORKEE
6	Ajeet Aswal	AUKDD7109485	DIPLOMA	Electrical	EDD DOIWALA
7	Akanshi Baluni	AUKDD7255468	DIPLOMA	MoM	O/o-ED(HR), URJA BHAWAN, DEHRADUN
8	Aman Dimri	AUKUT7220816	DIPLOMA	Electrical	EDD UTTARKASHI
9	Aman Nautiyal	AUKDD7113498	DIPLOMA	Electrical	EDD (NORTH), DEHRADUN
10	Aman Pal	AUKDD7109897	DIPLOMA	Electrical	EDD RISHIKESH
11	Anchal	AUKDD7237554	DIPLOMA	MoM	O/o-ED(HR), URJA BHAWAN, DEHRADUN
12	Anjali Khankriyal	AUKDD7286770	DIPLOMA	MoM	O/o-ED(HR), URJA BHAWAN, DEHRADUN
13	Ankita Miyan	AUKTG6806504	DIPLOMA	Electrical	EDD NEW TEHRI
14	Arushi	AUKDD7254818	DIPLOMA	MoM	O/o-ED(HR), URJA BHAWAN, DEHRADUN
15	Ayush Negi	AUKCL7150415	DIPLOMA	Electrical	EDD NARAYANBAGAR
16	Bhanu Pratap Singh Chauhan	AUKDD7285320	DIPLOMA	Electrical	EDD MOHANPUR
17	Chandni	AUKDD7255525	DIPLOMA	MoM	O/o-ED(HR), URJA BHAWAN, DEHRADUN
18	Devang	AUKDD6810764	DIPLOMA	Electrical	EDD DOIWALA

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाष: 91–135–2763901 फैक्स: 91–135–2769771
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001. Phone: 91-135-2763901 Fax: 91-135 -2769771

19	Devesh Kandari	AUKRP7237583	DIPLOMA	Electrical	EDD RUDRAPRAYAG
20	Hansika	AUKDD7250001	DIPLOMA	MoM	O/o-ED(HR), URJA BHAWAN, DEHRADUN
21	Karan Negi	AUKDD7002986	DIPLOMA	Electrical	EDD MOHANPUR
22	Kumari Mansi Bisht	AUKDD7243520	DIPLOMA	Electrical	EDD RISHIKESH
23	Manish Bhatt	AUKUT6590273	DIPLOMA	Electrical	EDD UTTARKASHI
24	Manisha Kumari	AUKDD7255349	DIPLOMA	MoM	O/o-ED(HR), URJA BHAWAN, DEHRADUN
25	Mukul Singh	AUKCL7217979	DIPLOMA	Electrical	EDD GOPESHWAR
26	Pankaj	AUKCL7185041	DIPLOMA	Electrical	EDD GOPESHWAR
27	Pragya Rayal	AUKPG7232968	DIPLOMA	Electrical	EDD SRINAGAR
28	Pyarji	AUKHA7284360	DIPLOMA	Electrical	EDD (URBAN), ROORKEE
29	Rahul Panwar	AUKUT6913611	DIPLOMA	Electrical	EDD MOHANPUR
30	Rupesh	AUKCL6880632	DIPLOMA	Electrical	EDD GOPESHWAR
31	Sakshi Jawadi	AUKDD7276764	DIPLOMA	MoM	O/o-ED(HR), URJA BHAWAN, DEHRADUN
32	Shubham Kukreti	AUKPG7162625	DIPLOMA	Electrical	EDD RISHIKESH
33	Soni Bisht	AUKDD5407890	DIPLOMA	MoM	O/o-ED(HR), URJA BHAWAN, DEHRADUN
34	Sujal	AUKDD7120525	DIPLOMA	Electrical	EDD DOIWALA
35	Swati Tomar	AUKTG7252750	DIPLOMA	MoM	O/o-ED(HR), URJA BHAWAN, DEHRADUN
36	Tanuj Sharma	AUKDD7279979	GRADUATE	Electrical	EDD RISHIKESH

1. शिक्षुओं का कार्योजन पूर्णतः 'शिक्षु अधिनियम 1961 यथासंशोधित अधिनियम 1973 एवं 1986 और शिक्षुता नियम–1992 (वर्तमान तक संशोधित) के प्रावधानों एवं शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अधीन शासित होगा।

2. 36 अप्रैन्टिस शिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि दिनांक 03.09.2026 से दिनांक 02.09.2027 तक कुल 12 माह की रहेंगी तथा दिनांक 02.09.2027 को प्रशिक्षण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

3. खण्डीय/सम्बन्धित कार्यालय द्वारा यदि दिनांक 02.09.2027 के पश्चात् इन शिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि आगे बढायी जाती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी की होगी।

4. अप्रैन्टिस शिक्षुओं द्वारा तैनाती आदेश निर्गत होने की तिथी के अगले कार्यदिवस में तैनाती कार्यालय में अपनी उपस्थिति अवश्यमेव दर्ज करानी होगी।

5. डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) योजना के तहत बोर्ड ऑफ अप्रैन्टिसशिप द्वारा निर्धारित प्रतिमाह की stipend धनराशि के अन्तर्गत डिग्रीधारी अप्रैन्टिस शिक्षुओं को प्रतिमाह stipend की 50 प्रतिशत धनराशि रु6150 एवं डिप्लोमा अप्रैन्टिस शिक्षुओं को प्रतिमाह stipend की 50 प्रतिशत धनराशि रु5450 का भुगतान सम्बन्धित खण्डीय कार्यालय द्वारा शिक्षुओं के नेट्स पोर्टल पर पहले से ही अपलोड बैंक खाते (Aadhaar seeded Bank Account) में किया जाना

अनिर्वाय होगा। किसी भी खण्डीय कार्यालय को शिक्षुओं के बैंक खाते को परिवर्तित किये जाने का अधिकार नहीं होगा।

6. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके नियन्त्रणाधीन प्रशिक्षण हेतु तैनात किये गये शिक्षुओं का प्रतिमाह उपस्थिति/अनुपस्थिति विवरण एवं भुगतान किये गये stipend धनराशि का सम्पूर्ण ब्यौरा निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रत्येक माह की 2 तारीख तक मुख्य अभ्यिन्ता (वितरण) द्वारा इस कार्य हेतु नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को ई0मेल hrtraining.upcl@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे जिससे की stipend की शेष 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान शिक्षुओं को बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप के स्तर से किया जा सके।

7. बिन्दु सं0–6 के सम्बन्ध में मुख्य अभ्यिन्ता (वितरण), अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत (नियन्त्राधीनसम्बद्ध अधीक्षण अभ्यिन्ता/अधिशासी अभ्यिन्ता अथवा सहयाक अभ्यिन्ता) एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनके नाम, पदनाम, तैनाती कार्यालय एवं सम्पर्क विवरण की सूचना इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित नोडल अधिकारी अपने सम्बन्धित क्षेत्रान्तर्गत सभी कार्यालयों के प्रशिक्षुओं के प्रतिमाह के उपस्थिति/अनुपस्थिति एवं भुगतान का विवरण निर्धारित प्रारुप के अनुसार प्रत्येक माह की 2 तारीख तक समस्त प्रशिक्षुओं की सूचना संकलित कर इस कार्यालय को ई0मेल hrtraining.upcl@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं भविष्य में कारपोरेशन द्वारा यदि इन अप्रैन्टिस प्रशिक्षुओं से सम्बन्धित कोई भी विवरण/सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो सम्बन्धित नोडल अधिकारी का पूर्ण दायित्व होग कि आदेशों की अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

8. अप्रैन्टिस शिक्षुओं द्वारा त्रैमासिक कार्य–प्रगति आख्या अपने नियन्त्रक अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा मुख्यालय द्वारा मांगे जाने की स्थिति में नियन्त्रक अधिकारी द्वारा कार्यालय–निदेशक (मा0सं0), उपाकालि को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. 12 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही यदि किसी अप्रैन्टिस शिक्षु द्वारा प्रशिक्षण समाप्त किये जाने हेतु अनुरोध/आग्रह किया जाता है अपितु प्रशिक्षण बीच में ही छोडा जाता है तो नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि सर्वप्रथम इसकी पूर्ण जानकारी कार्यालय–अधिशासी निदेशक (मा0स0), उपाकालि को उपलब्ध करायी जाये, ताकि इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही मुख्यालय स्तर से समय से की जा सके।

10. उक्त तैनाती आदेश इस प्रतिबन्धाधीन निर्गत किये जायेंगे कि बोर्ड ऑफ अप्रैन्टिसशिप द्वारा अन्तिम अनुमोदन प्रदान करते समय यदि किसी शिक्षु के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता है तो contract creation की तिथि से सम्बन्धित शिक्षु का एक वर्षीय अप्रैन्टिस प्रशिक्षण स्वतः समाप्त समझा जायेगा तथा इस सम्बन्ध में stipend धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

अधिशासी निदेशक (मा0सं0)

No. 4236 - ED(HR)/UPCL/ Section-I/Apprenticeship/ of dated

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ ऑफिसर–1, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह, ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव–निदेशक (परियोजना/परिचालन/वित्त) उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय अधिशासी निदेशक (मा0सं0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह, ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (वितरण), गढ़वाल/हरिद्वार, उपाकालि को बिन्दु सं0–07 के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए विवरण/सूचना उपलब्ध कराने हेतु।
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि।
6. अधिशासी अभियन्ता (का0मे0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह, ऊर्जा भवन, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(जितेंद्र सिंह)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)